

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिसवाँ-सीतापुर ।

पीठासीन अधिकारी (सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा) **UP3785**

दिनांक- **09.09.2023**

राष्ट्रीय लोक अदालत

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि चालान अंतर्गत मोटर यान अधिनियम, दिनांक 31 दिसंबर 2021 से पूर्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन / विचारण का उपशमन) संशोधन, अध्यादेश 2023 , दिनांकित 22 मार्च 2023 के अनुसार में दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक के मुकदमे अंतर्गत मोटर यान अधिनियम , उपशामित हो जाएंगे।

अतः प्रस्तुत मुकदमा अंतर्गत मोटर यान अधिनियम, उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन / विचारण का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023, दिनांकित 22 मार्च 2023 के आलोक में उपशामित किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मुकदमे की कार्यवाही उपशामित की जाती है।

दिनांक- **09.09.2023**

न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ सीतापुर।

सुयश दिवाकर/-